केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
08 APR 2024
D. No........
Initials........

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/24/00034
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/23/00679
अपीलकर्ता : चाँद सिंह
पुत्र राजबीर सिंह,
गांव व डाक रावता ,
नई दिल्ली - 110073 (9871913045)

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.12.2023
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	26.12.2023
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.01.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.के.राव (DR to IC VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.03.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.03.2024
निर्णय की तारीख	05.04.2024

I मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.12.2023 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

O/C

"सूचना का नियम 2005 के तहत द्वितीय अपील CIC/GNCTD/A/2022/151128 – UM, CIC/GNCTD/A/2022/128574 – UM, CIC/GNCTD/A/2022/158181 – UM की जानकारी देने का कष्ट करें जिसकी फीस IPO संख्या 442221 पत्र के साथ सलग्न हैं।"(फाइल में सलग्न है)

II प्रदान की गई सूचना

श्री आर.के.राव, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2024 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

"Point 1-3 : As per records no action has been initiated till date."

8-4-24

III प्रथम अपील का आधार

उक्त जवाब से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है तथा प्रार्थी उक्त उत्तर के विरुद्ध ये प्रथम अपील निम्न आधारों पर कर रहा है : -

उपरोक्त सूचना जन सूचना अधिकारी से सूचना का नियम 2005 के तहत मांगी गयी जोकि जन सूचना अधिकारी ने 30 दिन (निश्चित अवधि) बीतजाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी।

यह सूचना अधिकार कानून का उलघन है , साथ ही एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है।

(A) मांगी गयी सम्पूर्ण व सही जानकरी उपलब्ध कराई जाए।

(B) सूचना अधिकारी है जिन्होंने यह जानकारी निश्चित अवधि में नहीं दी उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए।

IV निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/23/00679 में सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं कराई गई। जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2024 के द्वारा सूचना भेजी जा चुकी है। केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना, दिनांक 18.01.2024 की प्रति, प्रथम अपील के आर्डर के साथ संलग्न की जा रही है ।

अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

V. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

VI. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की दिनांक : 05.04.2024

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 26105021

प्रतिलिपि :

1). केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।